संख्या फा0 5(11)-संस्था-III (क)/75
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
संस्था- III (क) अनुभाग

नई दिल्ली, फरवरी, 1977

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- तीसरे वेतन आयोग की नर्सिंग कर्मचारियों से संबंधित सिफारिशें — अर्हता वेतन की मंजूरी ।

- - - - - -

मुझे इस मंत्रालय के 8मई 1975 के का0ज्ञा0 सं0 फा.5(11)-संस्था — III (क)/75 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमें कहा गया था कि उन नर्सिंग कर्मचारियों को, जिन के पास भर्ती के समय नर्सिंग की उपाधि हो, या उसके बाद उसे प्राप्त कर लें, दो अग्रिम वेतन-वृद्धियां मंजूर की जानी चाहिए बशर्ते कि उनसे
/नहीं उपर्युक्त अर्हता अपने नियोजन की शर्त के रूप में रखने की आवश्यकता/ हो । ये आदेश
/यह 8.5.1975 से प्रभावी हैं ।/ संदेह किया गया है कि क्या ये दो अग्रिम वेतन-वृद्धियां उन नर्सिंग कर्मचारियों को 8.5.75 से दी जा सकती हैं, जिनके पास नर्सिंग की उपाधि है और जो पहले ही 8.5.75 को सेवा में हैं ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि दो अग्रिम वेतन-वृद्धियां —

(i) 8.5.75 से सेवा में उन नर्सिंग कर्मचारियों को स्वीकार्य होगी जिनके पास उस तारीख को नर्सिंग की उपाधि थी,

(ii) नियुक्ति की तारीख से उन व्यक्तियों को स्वीकार्य होगी जिनके पास उपाधि की अर्हता हो और 8.5.75 के बाद भर्ती किये गये हों; और

(iii) नर्सिंग की उपाधि के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से सेवा में उन व्यक्तियों को स्वीकार्य होंगी जिन्होंने 8.5.75 के बाद उपाधि अर्हता प्राप्त की है ।

बशर्ते कि संबंधित नर्सिंग कर्मचारियों को अपने नियोजन की शर्त के रूप में नर्सिंग की उपाधि रखना आवश्यक नहीं हो । शर्त यह भी है कि 8.5.75 को अथवा उससे पहले अथवा उसके बाद उनको नर्सिंग कीउपाधि रखने के कारण उच्चतर प्रारम्भिक वेतन नहीं दिया गया हो ।

2. स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग के पत्र संख्या 2224/76-एन0पी0टी0 दिनांक 5.5.76 के अधीन जारी किया गया स्पष्टीकरणआदेश एतद्द्वारा रद्द किया जाता है ।

आर0सी0पुरी
(आर0सी0पुरी)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में, भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभाग आदि।

- - - - -